प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. **जिलाः**–ए.सी.बी. चौकी कोटा शहर **थाना**.... प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र0नि0ब्यूरो, जयपुर
   प्र0सू0रि0संख्या .....458/22..... **दिनांक**.....30/11/2022
2. **(1) अधिनियम–भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 धारा–07**
   (2) अधिनियम– भारतीय दण्ड सहिंता .....धारा –
   (3) अधिनियम.....धारायें –.....
   (4) अन्य अधिनियम धारायें.....
3. **(अ) रोजनामचा आम रपट संख्या**.....541.....**समय**.....10.40PM.....
   (ब) अपराध घटने का दिन ... शुक्रवार....दिनांक....30.09.2022 ...**समय** 06.38 पी.एम.
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक... 30.09.2022 समय 05.00 पी.एम.
4. **सूचना की किस्म लिखित/ मौखिक** – हस्तलिखित रिपोर्ट
5. **घटना स्थल का ब्यौरा :–**

(अ)पुलिस थाना से दिशा व दूरीः– दक्षिण–पश्चिम व 15 कि.मी.
(ब) पताः– कार्यालय उप वन संरक्षक रावतभाटा रोड इंजीनियरिगं कॉलेज के सामने कोटा
जरायम देही संख्या.....
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना –

6.परिवादी/सूचनाकर्ता :–

(अ) नामः– श्री हेमन्त अग्रवाल
(ब) पिता का नाम – श्री धनेश अग्रवाल
(स) जन्म तिथी/वर्ष – उम्र 45 वर्ष
(द) राष्ट्रीयता. – भारतीय
(य) पासपोर्ट संख्या.....जारी होने की तिथी.....जारी होने की जगह.....
(र)व्यवसाय –
(ल) पता – निवासी 641 बी शास्त्री नगर दादावाडी कोटा

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्योरा सम्पूर्ण विशिष्ठियों सहित :–

(1) श्री अनिल चौधरी पुत्र श्री फूल चन्द जाति जाट निवासी गांव ढीकरिया पोस्ट चला तहसील नीम का थाना जिला सीकर राजस्थान हाल वन रक्षक कार्यालय उप वन संरक्षक रावतभाटा रोड इंजीनियरिगं कॉलेज कोटा

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने मे विलम्ब का कारणः– कोई नही
9. चुराई हुई लिप्त सम्पत्ति की विशिष्ठियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये).
10.**चुराई हुई/लिप्त सम्पत्तियों का कुल मूल्य**.....
11. पंचनामा/यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो).....
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्नालगायें) :–

श्रीमान प्रकरण के हालात इस प्रकार हैं कि दिनांक 30.09.2022 को परिवादी श्री हेमन्त अग्रवाल पुत्र स्व श्री धनेश अग्रवाल जाति महाजन निवासी 641 बी शास्त्री नगर दादावाडी कोटा ने कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों कोटा मे उपस्थित होकर एक स्वयं द्वारा हस्तलिखित व हस्ताक्षरित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि"मेरे पिता जी की एक डबल बैरल बन्दुक बारा बोर लाईसेंस नं.4677/91है जो कि मेरे पिताजी के नाम है, उक्त लाईसेंस को पिताजी की मृत्यु होने के कारण मेरे नाम ट्रांसफर करवाने के लिये मैने आवेदन के साथ सभी खानापूर्ति पूर्ण कर जिला कलेक्टर कार्यालय में जमा करवा दिया है। जिला कलक्ट्रेट कार्यालय से मुझे लाईसेंस के संबंध में उप वन संरक्षक कार्यालय रावतभाटा रोड इंजिनियरिंग कालेज के सामने से एनओसी लाने के लिए सुचित किया गया कि एनओसी के संबंध में जब मै कार्यालय उप वन संरक्षक में पदस्थापित अधिकारी अनिल चौधरी से मिला तो उन्होने एनओसी जारी देने के बदले 10000/अक्षरे दस हजार रूपये रिश्वत देने की मांग की। मैं उन्हे रिश्वत में मेरे जायज काम के बदले 10000/ दस हजार रूपये नही देना चाहता तथा उनको रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं। मेरी उनसे पूर्व से काई जान पहचान या रंजीश नही हैं। कार्यवाही करनें की कृपा करें।"आदि। श्री विजय स्वर्णकार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्री हर्षराज सिंह खरेडा उप अधीक्षक पुलिस को अपने कक्ष में बुलाकर वहॉ उपस्थित परिवादी श्री हेमन्त

अग्रवाल पुत्र स्व श्री धनेश अग्रवाल जाति महाजन निवासी 641 बी शास्त्री नगर दादावाडी कोटा से परिचय करवाया तथा उक्त प्रार्थना पत्र पर अग्रिम कार्यवाही हेतु आदेशित किया। श्री हर्षराज सिह खरेडा उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी से उक्त शिकायत के संबंध में पूछताछ करने पर परिवादी ने बताया कि श्री अनिल कुमार चौधरी वनरक्षक मुझे आज मिलने के लिये बुला रहा है वह मुझसे रिश्वत की मांग करेगा। उक्त शिकायत एवं पूछताछ से मामला रिश्वत लेन–देन का होने व भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की परिधि मे आना पाये जाने से गोपनीय सत्यापन हेतु समय 6.00 पी.एम.पर कार्यालय के मालखाने सें सरकारी डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर निकलवाया जाकर उसें चालु एंव बन्द करने की विधी परिवादी श्री हेमन्त अग्रवाल को समझाकर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड परिवादी को सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि कार्यालय उप वन संरक्षक में पदस्थापित आरोपी अनिल चौधरी व आपके मध्य होने वाली रिश्वत संबन्धी वार्ता को रिकॉर्ड कर लावे। परिवादी का परिचय श्री नरेन्द्र सिंह कानि0 305 से करवाया तथा गोपनीय सत्यापन की निगरानी हेतु श्री नरेन्द्र सिह कानि. 305 को परिवादी के साथ रावतभाटा रोड पर स्थित उक्त कार्यालय के लिए रवाना की हिदायत की गई। समय 6.12 पी.एम.परिवादी श्री हेमन्त अग्रवाल मय डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड व श्री नरेन्द्र सिंह कानि. 305 के निजी प्राईवेट वाहन से गोपनीय रिश्वत मांग सत्यापन हेतु कार्यालय उप वन संरक्षक के लिए रवाना किया गया। समय 7. 00 पी.एम. पर श्री हर्षराज सिहं खरेडा उप अधीक्षक पुलिस दिगर आवश्यक राजकार्य हेतु कार्यालय से रवाना हो हेंगिंगब्रीज कोटा पंहुच मुकीम हुए जहां पर समय 7.40 पी.एम.पर परिवादी श्री हेमन्त अग्रवाल व श्री नरेन्द्र सिंह कानि. बाद रिश्वत मांग सत्यापन के हेंगिंग ब्रीज के पास स्थित टोल के पास आये। परिवादी श्री हेमन्त अग्रवाल ने मेमोरी कार्ड लगा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर श्री हर्षराज सिंह पुलिस उप अधीक्षक को सुपुर्द कर परिवादी ने बताया कि हम दोनों आपके कार्यालय सें रवाना होकर रावतभाटा रोड कोटा पर स्थित कार्यालय उप वन संरक्षक के पास पहुंचे, श्री नरेन्द्र सिंह जी कार्यालय के बाहर ही रूक गये। डिजीटल रिकॉर्डर चालु कर मैं श्री अनिल चौधरी सें बात करने के लिए उक्त कार्यालय में अन्दर गया जहां श्री अनिल चौधरी मिले जिनसे बात की तो उन्होने गन लाईसेंस हेतु वन विभाग की एनओसी जारी करने के बदले आठ हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग की है। मेरे व अनिल चौधरी के मध्य हुई वार्ता डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकार्ड हो गयी है। कार्यालय में उनसें बात करके वापस बाहर नरेन्द्र जी के पास आकर डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर बन्द किया तथा इनको मेरे व अनिल चौधरी के मध्य हुई वार्ता के संबन्ध में बताया तथा इसके बाद हम दोनों वंहा सें रवाना होकर आपके पास आये है। परिवादी ने बताया कि उक्त अनिल चौधरी ने अभी जयपुर जाने के लिए बोला है वह या तो अभी 20 मिनिट में या छुटिटयां के बाद दिनांक 06.10.2022 को आनें पर रिश्वत के आठ हजार रू लेकर आने के लिये कहा है, मैने दिनांक 06.10.2022 के लिए बोल दिया है। बाद रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के कार्यालय उप वन संरक्षक रावतभाटा रोड कोटा से रवाना होकर यहां उपस्थित आये है। श्री नरेन्द्र सिंह ने परिवादी के कथनों की ताईद की। श्री हर्षराज सिहं खरेडा दिगर राजकार्य में व्यस्त होने से हेंगिंगब्रीज टोल के पास ही परिवादी श्री हेमन्त अग्रवाल द्वारा पेश उक्त डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के चालु कर मुख्य अंश श्री हर्षराज सिंह खरेडा पुलिस उप अधीक्षक द्वारा सुना गया, तो आरोपी द्वारा रिश्वत की मांग के संबंध मे परिवादी द्वारा कहे गये कथनों की पुष्टि हुई। परिवादी को गोपनीयता बनाये रखनें व दिनांक 06.10.2022 को रिश्वत राशि आठ हजार रू लेकर 10.00 ए.एम पर अग्रीम कार्यवाही हेतु कार्यालय में आने की हिदायत कर रवाना किया। श्री हर्षराज सिंह खरेडा उप अधीक्षक पुलिस अन्य कार्यवाही में रावतभाटा रोड पर स्थित पेट्रोल पम्प पर पंहुच उपस्थित रहे व बाद फारिग वहां से रवाना होकर समय 11.40 पी.एम. पर उपस्थित कार्यालय आए व डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को सुरक्षित रखा गया।

दिनांक 14.10.22 समय 9.40 ए.एम.पर परिवादी श्री हेमन्त अग्रवाल कार्यालय में उपस्थित आया व एक लिखित प्रार्थना पत्र श्री हर्षराज सिंह खरेडा उप अधीक्षक पुलिस को इस आशय का पेश किया कि मेरे पिताजी की मृत्यु होने के कारण गन लाईसेंस मेरे नाम ट्रांसफर हेतु एनओसी के संबंध कार्यालय उप वन संरक्षक में पदस्थापित अधिकारी अनिल चौधरी के विरूद्व रिश्वत की मांग की दिनांक 30.09.2022 को शिकायत दी थी जिसका उसी दिन सत्यापन भी हो गया था। अब अनिल चौधरी मेरे से बात नहीं कर रहा है, एक बार मैने बात की तो उसने रिश्वत के संबंध बात नही की तथा बात करने के लिए भी मना कर दिया। मुझे लगता है कि उसे मुझ पर शक हो गया है। वह मुझसे रिश्वत संबंधी वार्ता नहीं कर रहा है तथा शक हो जाने के कारण ट्रेप कार्यवाही हो पाना संभव नहीं है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया । समय 9.45 ए.एम पर कार्यालय अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर खण्ड कोटा से पाबंदशुदा कार्मिक

1.श्री धनराज लौधा कनिष्ठ सहायक व 2– श्री विक्रम जैलिया कनिष्ठ सहायक उपस्थित आये। इसके बाद समय 9.50 ए.एम.पर परिवादी हेमन्त अग्रवाल सें उक्त गवाहान का आपसी परिचय करवाया गया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत दिनांक 30.09.22 को पेश प्रार्थना पत्र व आज दिनांक 14.10.22 को पेश प्रार्थना पत्र दोनो गवाहान को पढ़कर सुनाया गया तथा होने वाली कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह साथ रहने की सहमति चाहने पर दोनो गवाहान ने अपनी–अपनी सहमति व्यक्त की। तत्पश्चात् दोनों गवाहान ने परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्रो को पढ़कर उन पर अपने–अपने हस्ताक्षर किये। इसके बाद समय 10.10 ए.एम.पर कार्यालय हाजा के डिजीटल वायस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में आरोपी व परिवादी के मध्य हुयी रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता डिजीटल वायस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड से श्री नरेन्द्र सिहं कानि 305 के द्वारा लेपटॉप में लिवाई जाकर दोनों गवाहान् व परिवादी की उपस्थिति में उक्त वार्ता की फर्द रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की ट्रांसकिप्ट तैयार करवायी जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली की गयी। डिजीटल वायस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड से लेपटॉप में ली गयी वार्ता से चार पेन ड्राईव तैयार करवाये गये,जिसमे से एक पेनड्राईव माननीय न्यायालय के लिये, एक पेनड्राईव नमूना आवाज के लिये व एक पेनड्राईव आरोपी के लिये पृथक–पृथक कपडे की थैली मे रखकर सील्ड मोहर किये गये तथा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे हुए मेमोरी कार्ड Sandisk ultra 32 GB को मेमोरी कार्ड के कवर में रखकर, मेमोरी कार्ड को कवर सहित कपडे की थैली में रखाकर सील्ड मोहर किया व सभी सील्ड मोहर थैलियों पर संबन्धितों के हस्ताक्षर कराकर जमा मालखाना करवाये गये। एक पेनड्राईव अनुसंधान अधिकारी के लिये लिफाफे मे रखा गया कर शामिल पत्रावली किया गया। फर्द डबिंग वार्ता व जब्ती पेन ड्राईव एवं मेमोरी कार्ड पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गयी। कार्यवाही पूर्ण होने के बाद परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहो के रूखसत किया गया। श्री हर्षराज सिंह खरेडा उप अधीक्षक पुलिस का स्थानान्तरण होने पर प्रकरण की पत्रावली मन पुलिस निरीक्षक अजीत बगडोलिया को प्राप्त हुई।

उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी श्री हेमन्त अग्रवाल पुत्र स्व श्री धनेश अग्रवाल के पिता जी की एक डबल बैरल बन्दुक बारह बोर लाईसेंस नं. 4677/91 को पिताजी की मृत्यु होने के कारण परिवादी के नाम ट्रांसफर करवाने के सबंधं में वन विभाग द्वारा जारी की जाने वाली एओसी के लिये कार्यालय उप वन संरक्षक, रावतभाटा रोड इंजिनियरिंग कालेज के सामने, कोटा में पदस्थापित अनिल चौधरी वन रक्षक द्वारा 10,000/रूपये की मांग की गई। दिनांक 30.09.2022 को गोपनीय रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान श्री अनिल चौधरी वन रक्षक द्वारा वन विभाग की एनओसी जारी करने के एवज में 8,000/रूपये रिश्वत की मांग करना पाया गया है। लेकिन आरोपी अनिल चौधरी के शक होने से रिश्वत राशि प्राप्त नहीं की गई। श्री अनिल चौधरी वन रक्षक कार्यालय उप वन संरक्षक रावतभाटा रोड इंजीनियरिगं कॉलेज के सामने कोटा का कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 के अन्तगर्त दण्डनीय अपराध होना प्रथम दृष्टया पाया गया है।

अतः आरोपी श्री अनिल चौधरी पुत्र श्री फूल चन्द जाति जाट निवासी गांव ढीकरिया पोस्ट चला तहसील नीम का थाना जिला सीकर राजस्थान हाल वन रक्षक कार्यालय उप वन संरक्षक रावतभाटा रोड इंजीनियरिगं कॉलेज कोटा के विरूद्व धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में प्रकरण पंजीबद्व किए जाने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवा में सादर प्रेषित है।

(अजीत बगडोलिया)
पुलिस निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री अजीत बगडोलिया, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री अनिल चौधरी पुत्र श्री फूल चन्द, वन रक्षक, कार्यालय उप वन संरक्षक, रावतभाटा रोड़ इंजीनियरिंग कॉलेज, कोटा के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 458/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

30.11.22
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांक 3942-45 दिनांक 30.11.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा।
2. उप वन संरक्षक, कोटा।
3. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।

30.11.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।